न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :– 01/2021

वादीनीगण

01. प्रमेश्वरी पुत्री सरुपाराम उम्र 35 वर्ष कौम सुथार निवासी भाउड़ा–खारी पत्नी मोहनलाल निवासी कुम्हारों की बेरी–कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
02. पेम्पी पत्नी सरुपाराम उम्र 75 वर्ष जाति सुथार निवासी भाउड़ा–खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

01. पूनमाराम पुत्र धोकलाराम
02. शान्ती पुत्री भुराराम
03. मुमल पुत्री भुराराम
04. हपी पुत्री भुराराम
05. मुली पुत्री भुराराम
06. भैराराम पुत्र डूंगराराम
07. पोकर पुत्र डूंगराराम
08. अर्जुन पुत्र डूंगराराम
09. मोहन पुत्र डूंगराराम
10. बाबु पुत्र छोगाराम
11. रिड़मलराम पुत्र छोगाराम
12. सताराम पुत्र छोगाराम
13. गंगाराम पुत्र थानाराम (फौत होने से कायम मुकाम)
    13/1. हजारी पुत्र गंगाराम
    13/2. हनुमान पुत्र गंगाराम
14. दोलाराम पुत्र देवाराम
15. श्यामा पुत्र देवाराम
16. रावताराम पुत्र देवाराम
17. चूनाराम पुत्र देवाराम (फौत होने से कायम मुकाम)
    17/1. पुखराज पुत्र चूनाराम
    17/2. हुकमाराम पुत्र चूनाराम
    17/3. बबरी पुत्री चूनाराम
18. सरुपाराम पुत्र देवाराम फौत होने से कायम मुकाम)
    18/1. रामाराम पुत्र सरुपाराम
    18/2. लिक्ष्मणराम पुत्र सरुपाराम
    18/3. थानी पत्नी सरुपाराम
19. पांचाराम पुत्र लाधूराम
20. हीरो बेवा लाधूराम
21. खेताराम पुत्र पिथाराम
22. हनुमानराम पुत्र पिथाराम
23. केसी बेवा पिथाराम
24. गोगाराम पुत्र सांगाराम
25. पूनमाराम पुत्र सांगाराम
26. हरूराम पुत्र सांगाराम
27. टीकमाराम पु[illegible]
28. मोड़ाराम पु[illegible]गारा[illegible]
29. जगमालराम पुत्र [illegible] जाति सुथार निवासी [illegible]ड़ा–खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
30. तहसीलदार/ उप [illegible]यक धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू: 05.01.2021

अधिवक्तागणः–

1. **श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादीनीगण**
2. **हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी सं.02 से 10 व 12**
3. **पेरोकार सरकार**

–::निर्णय::–

दिनांक 02-02-24

वकील मय वादीनीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 29 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा का आया हुआ है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। कि वादीनीगण के पिता स्व. सरुपाराम पुत्र सोनाराम उक्त खेतों का रैकर्डेड खातेदार है तथा उक्त आराजी वादीनीगण की पैतृक आराजी है जो वादीनीगण के दादा सोनाराम के नाम से दर्ज होने के बाद सोनाराम के फौत होने पर वादीनीगण के पिता सरुपाराम व प्रतिवादी सं. 29 जगमालराम के नाम से दर्ज हुआ तथा सरुपाराम व जगमालराम का नाम राजस्व रैकर्ड में अनवरत रुप से चला आ रहा है सरुपाराम पुत्र सोनाराम दिनांक 15.07.2005 को फौत हो गये तथा सरुपाराम के फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अनिधियम के तहत वादीनीगण ने अपने पिता व अपने पति की जगह वारिशान के रुप में नामान्तरकरण पारित करने हेतु आवेदन किया परन्तु सरुपाराम की फौतगी को 15 वर्ष बाद भी वादीनीगण का नाम अमल दरामद नहीं हुआ इसलिये वादीनीगण सरुपाराम की जगह अपना नाम उपरोक्त आराजी में दर्ज करवाने की अधिकारीणी थी तथा वादीनीगण के पिता व पति के हक हिस्से में दखलअदांजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है

वादीनीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये डाक तलब किया गया प्रतिवादी सं. 2 से 10 व 12 की ओर से वकील द्वारा एकबाल्या जवाब पेश किया गया शेष प्रतिवादीगण की डाक रसीद व डिलीवर सूचना के अनुसार सम्यक तामील से अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली को

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्यवादी के दौरान वादीनी पेम्पा पीडब्लू 01 ने अपने खातेदारी के खेत की जमाबंदी व नक्शा तथा स्वयं के पहचान पत्र पिता सरुपाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व भामाशाह कार्ड को प्रदर्शित करवाये गये तथा वादीनी प्रमेश्वरी के बयानों को कलमबंद्ध किया गया तथ स्वतंत्र ग्वाह पीडब्लू 03 खेता पुत्र सोना के ब्यान कलमबद्ध किये गये वादी अधिवक्ता द्वारा ओर साक्ष्य नहीं पेश करने तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 10 व 12 की ओर से प्रतिवादी स्वयं व अधिवक्ता ने अपनी ओर से साक्ष्य नहीं पेश करने का कथन करने पर दोनों पक्षों की साक्ष्य को बन्द किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित पत्रावली को सिधे बहस में नियुक्त किया गया।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता विस्तार पूर्वक सुनी तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। हमने प्रदर्शित जमाबंदी खेत ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा खेत ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा से स्पष्ट है कि वादीनी के पिता व पति सरुपाराम उक्त खसरों में 1/14 हिस्से का हिस्सेदार है तथा सरुपाराम पुत्र सोनाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर सरुपाराम की मृत्यु दिनांक 15.07.2005 को होना प्रमाणित है तथा प्रार्थीया द्वारा पेश आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रमेश्वरी, पेम्पा देवी व सरुपाराम की पुत्री होना प्रमाणित है तथा पेम्पा सरुपाराम की पत्नी होना भी प्रमाणित है तथा स्वतंत्र ग्वाह पीडब्लू 03 ने स्व. सरुपाराम पुत्र सोनाराम के जीवित वारिश को केवल मात्र को वादीनीगण को बताया है तथा अपने पिता व पति की भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार वादीनीगण स्व. सरुपाराम की वैध वारिश होना प्रमाणित है साथ ही वादीनीगण सुथार जाति से होने से हिन्दू विधि से शासित है तथा हिन्दू उतराधिकार के अनुसार स्व. सरुपाराम की भूमि में हित निहित है साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 12 जो इस खेत के सहखातेदार है साथ ही वादीनीगण के पिता व परिवार के सदस्य है जिन्होंनें अपने इकबाल्या जवाब में सरुपाराम के फौत होने व वादीनीगण उनकी विधिक वारिशान होने की ताइद करते है साथ ही किसी भी प्रतिवादीगण ने वादीनीगण के कथनों का खण्डन नहीं किया है ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पैतृक होने व वादीनीगण मृतक सरुपाराम के वैध वारिश

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

होने के सम्बध में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है तथा अपने पिता व पति की जगह खातेदारी घोषित करवाने की पूर्णरुप से अधिकारीणी है साथ ही वादीनीगण ने अपने वाद पत्र में साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 30 से कई बार नामान्तरकरण पारित करने हेतु निवेदन करना जाहिर किया है साथ ही भूमिपति तहसीलदार ने उक्त वाद पत्र में कोई लिखित जवाब व स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में न्यायालय वादीनीगण के कथनों से पूर्णरुप से सहमत है इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीनीगण की पैतृक आराजी है तथा उक्त खेतों में सरुपाराम पुत्र सोनाराम रैकर्डेड खातेदार है उसकी जगह उसके वैध वारिशान वादीनीगण का नाम घोषित करने हेतु अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है अर्थात् वादग्रस्त आराजी का वादीनीगण का नाम सरुपाराम पुत्र सोनाराम जगह घोषित करने हेतु अंतिम डिक्री किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजस्व रिकर्ड अंतिम डिक्री बहक वादीनीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा खेत ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा में खातेदार सरुपाराम पुत्र सोनाराम के नाम दर्ज हिस्से की जगह वादीनीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा शेष खाता बदस्तूर रखें। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादीनीगण का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज किया जावे वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। अंतिम डिक्री पृथक से

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

बनाई जाकर शामिल मिसल हो। तहसीलदार धोरीमन्ना को अंतिम डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 02.02.24 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलासः- श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

वादीनीगण

1. प्रमेश्वरी पुत्री सरुपाराम उम्र 35 वर्ष कौम सुथार निवासी भाउड़ा-खारी पत्नी मोहनलाल निवासी कुम्हारों की बेरी-कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

2. पेम्पी पत्नी सरुपाराम उम्र 75 वर्ष जाति सुथार निवासी भाउड़ा-खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

01. पूनमाराम पुत्र धोकलाराम
02. शान्ती पुत्री भुराराम
03. मुमल पुत्री भुराराम
04. हपी पुत्री भुराराम
05. मुली पुत्री भुराराम
06. भैराराम पुत्र डूंगराराम
07. पोकर पुत्र डूंगराराम
08. अर्जुन पुत्र डूंगराराम
09. मोहन पुत्र डूंगराराम
10. बाबु पुत्र छोगाराम
11. रिड़मलराम पुत्र छोगाराम
12. सताराम पुत्र छोगाराम
13. गंगाराम पुत्र थानाराम (फौत होने से कायम मुकाम)
    - 13/1. हजारी पुत्र गंगाराम
    - 13/2. हनुमान पुत्र गंगाराम
14. दोलाराम पुत्र देवाराम
15. श्यामा पुत्र देवाराम
16. रावताराम पुत्र देवाराम
17. चूनाराम पुत्र देवाराम (फौत होने से कायम मुकाम)
    - 17/1. पुखराज पुत्र चूनाराम
    - 17/2. हुकमाराम पुत्र चूनाराम
    - 17/3. बबरी पुत्री चूनाराम
18. सरुपाराम पुत्र देवाराम फौत होने से कायम मुकाम)
    - 18/1. रामाराम पुत्र सरुपाराम
    - 18/2. लिक्ष्मणराम पुत्र सरुपाराम
    - 18/3. थानी पत्नी सरुपाराम
19. पांचाराम पुत्र लाधूराम
20. हीरो बेवा लाधूराम
21. खेताराम पुत्र पिथाराम
22. हनुमानराम पुत्र पिथाराम
23. केसी बेवा पिथाराम
24. गोगाराम पुत्र सांगाराम
25. पूनमाराम पुत्र सांगाराम
26. हरुराम पुत्र सांगाराम
27. टीकमाराम पुत्र सांगाराम
28. मोडाराम पुत्र सांगाराम
29. [illegible] जाति सुथार नि[illegible]-खारी तहसील धोरीमन्ना जिला [illegible]मेर।
30. तहसीलदार/ उप [illegible] धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः- 01/2021

दावा बाबत्- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई

रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादीनीगण एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा खेत ग्राम भाउड़ा पटवार क्षेत्र खारी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित खसरा सं. 150, 150/1, 151, 165 रकबा क्रमशः 123, 15, 18–05, 25–08 व राजस्व ग्राम नरावतों का गोलिया के खेत खसरा संख्या 131, 140, 141, 181/132, 182/132, 199/130 रकबा क्रमशः 26–05, 0–15, 22–16, 62–06, 23–00, 35–10 बीघा में खातेदार सरुपाराम पुत्र सोनाराम के नाम दर्ज हिस्से की जगह वादीनीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा शेष खाता बदस्तूर रखें। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादीनीगण का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज किया जावे वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें।

नीज......................मुबलिक..............................बाबत्...................खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 02-2-24 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested